वजह से, तैयार हो गए हैं। आपको अब मेरी एक और मदद करनी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ सहयोग करेंगे।

मुलायम सिंह यादव जी ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, एक आवश्वासन इस हाउस में दिया था कि वे चायना के बारे में स्टेटमेंट देंगे। इस बारे में क्वेश्चन था और उन्होंने कहा था कि हमारी बातचीत चल रही है और मैं हाउस में आकर बोलूंगा। मगर हाउस उनको समय ही नहीं दे पायी। वह कल-परसों से कह रहे हैं कि मुझे स्टेटमेंट करना है पर हम उनको समय नहीं दे पाए। वे यहां हैं और उनको आज कहीं जाना है। मैंने उनसे कहा कि मैं हाउस की परमीशन ले लूंगा कि वे अपना स्टेटमेंट यहां हाउस के पटल पर रख दें। आप लोग उसको पढ़ लें और कल हम लोग उस पर क्लेरीफिकेशन पूछ लेंगे।

इसी तरह से हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी का स्टेटमेंट भी है। वह भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और हम नहीं चाहेंगे कि उसमें डिले हो। वे खाली आज उसको रख दें, क्लेरीफिकेशन हम लोग कल समय निकाल कर कर लेंगे।

श्री चतुरानन मिश्रः इन तीनों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है?

उपसभापतिः हमारे लिए तो सब इम्पोर्टेंट हैं, पूरा हाउस इम्पोर्टेंट है।

श्री चतुरानन मिश्रः इनको एक एक करके कर दीजिए।

उपसभापतिः आप स्टेटमेंट पढ़िए नहीं, खाली सभा पटल पर रख दें तो जल्दी हो जाएगा।

STATEMENTS BY MINISTER

Recent Incursion into Indian Territory in Himachal Pradesh region, by the Chinese army and the implications thereof

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): माननीय उपसभापति महोदया, मैं चीनी सेना द्वारा हिमाचल प्रदेश के भारतीय सीमा क्षेत्र में हाल की घुसपैठ के संबंध में अपना वक्तव्य सदन के सभा पटल पर रखता हूं।

Release of persons still under detention under the erstwhile Terrorist and Disruptive Activities Act 1987, which lapsed on 23rd May, 1995

उपसभापतिः शुक्रिया। हिन्दी और अंग्रेजी की दोनों कापियां बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिये ताकि मैम्बर रात को पढ़ कर कल आ सकें।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): Madam, as per your direction, I beg to lay on the Table of the House a statement on issues raised by hon. Members regarding release of persons who are still under detention under the erstwhile Terrorist and Disruptive Activities Act of 1987 which lapsed on the 23rd May, 1995.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will it be effective retrospectively or just from today? So, copies of this statement should also be distributed in both languagtes, Hindi and English, so that Memebrs can read it—copies of both, the statement of the Defence Minister and the Home Minister. Now, the discussion on the Acquaculture Authority Bill, 1997 is open for discussion.

THE AQUACULTURE AUTHORITY BILL, 1997—*Contd.*

SHRI S.B. CHAVAN (Maharashtra): Madam, have we waived all the rules?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Today, we have waived all the rules in view of the plea which Chaturananji made and in view of the people who are going to suffer due to this. The House is being very indulgent to do this and I thank on behalf of everybody. I think, if we have so many speakers, we won't be able to finish it in one hour. So, I will have to cut down names of speakers. Dr. Gopalrao Patil.

आज तो आप भी बोल रहे हैं बी॰ जे॰ पी॰ की तरफ से।

डा॰ गोपालराव विठ्ठलराव पाटिल (महाराष्ट्र): कापसे जी बोलेंगे। समय रहा तो मैं भी तीन मिनट बोलूंगा।

उपसभापतिः नहीं नहीं आप नहीं बोलिये क्योंकि हम लोगों को एक घंटे में खत्म करना है तो कैसे होगा। कापसे जी प्लीज़ आप बोलिये।

Mr. Vayalar Ravi, you are also speaking on this.

SHRI VAYALAR RAVI: Yes, Madam.

PROF. RAM KAPSE (Maharashtra): Madam Deputy-Chairperson, today, hon. Chaturanan Mishraji introduced a Bill,